

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

1. नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा।
2. नगर पालिका परिषद, अफजलगढ़ जनपद-बिजनौर।
3. नगर पालिका परिषद, बिजनौर, जनपद- बिजनौर।
4. नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम, जनपद-चित्रकूट।
5. नगर पालिका परिषद, स्वार, जनपद-रामपुर।
6. नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद-मिर्जापुर।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-590/एल0बी0सी0डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-04.03.2024, पत्रांक-370/न0पा0प/23, दिनांक-29.08.2023, पत्रांक-1128/न0पा0प0/2023-24, दिनांक-01.03.2024, पत्रांक-3009/पं0दी0द0उ0न0वि0यो0कार्ययोजना/2023-24, दिनांक-02.03.2024, पत्रांक-958/सा0प्र0/2023-24, दिनांक-01.03.2024 एवं पत्रांक-476/न0पा0स्वा0/2023-24, दिनांक-05.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से क्रमशः नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा, नगर पालिका परिषद, अफजलगढ़, जनपद-बिजनौर, नगर पालिका परिषद, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम, जनपद-चित्रकूट, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर एवं नगर पालिका परिषद, स्वार, जनपद-रामपुर को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रू0 100.008 लाख, धनराशी रू0 102.28 लाख, धनराशि रू0 50.04 लाख, धनराशि रू0 101.02 लाख, धनराशि रू0 100.73 लाख, एवं धनराशि रू0 159.76 लाख, अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा, नगर पालिका परिषद, अफजलगढ़, जनपद-बिजनौर, नगर पालिका परिषद, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम, जनपद-चित्रकूट, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर एवं नगर

पालिका परिषद, स्वार, जनपद-रामपुर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव कुल लागत धनराशि ₹0 613.77 लाख (रूपये छः करोड़ तेरह लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कुल धनराशि ₹0 599.98 लाख (रूपये पांच करोड़ निन्यानबे लाख अट्ठानबे हजार मात्र) अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

### नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्गत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	नगर पालिका परिषद हसनपुर, जनपद-अमरोहा	1. वार्ड संख्या 01 में जकी अहमद के मकान से रिजवान के मकान तक सी०सी० एव नाली का कार्य। 2. वार्ड संख्या 01 में चमन लाल के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी०सी० एव नाली का कार्य। 3. वार्ड संख्या 02 में धमेन्द्र त्यागी की दुकान से जुनेद, सुनील के मकान तक सी०सी० एव नाली का कार्य। 4. वार्ड संख्या 02 में ओमपाल की दुकान से रोहित के मकान होते हुए आजाद पाल तक सी०सी० एव नाली का कार्य। 5. वार्ड संख्या 02 में छोटे लाल मैनेजर से रावत, सुन्दर जमादार, धर्मशाला, अशोक, पप्पू सभासद, राजू रंजीत, प्रताप, राकेश के मकान के समीप तक सी०सी० एव नाली का कार्य। 6. वार्ड संख्या 03 में मनापुर /हिरनवाला में नफीस टैन्ट के मकान के समीप से केदारनाथ, कान्ती देवी एवम हारून सलमानी की दुकान से कैलाश के मकान के समीप तक सी०सी० एव नाली का कार्य। 7. वार्ड संख्या 04 में राशिद के मकान से परवेज, हनीफ के मकान होते हुए ऋवन के मकान के समीप तक (सहायक गली) सी०सी० एव नाली का कार्य।	11.70 13.93 8.94 11.15 19.24 16.51 18.51		
		<b>योग</b>	<b>99.98</b>	<b>99.98</b>	<b>99.98</b>
2	नगर पालिका परिषद अफजलगढ़ जनपद-बिजनौर	1. सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य मोहल्ला बेगमसराय वार्ड सं० 2 में काशीपुर रोड पर नगर पालिका की दुकानों से इसरार कस्सार के घर तक (साहू साहब वाला बाग)। 2. सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य मोहल्ला बेगमसराय वार्ड सं० 2 में इब्राहीम के घर से सुमीर के घर तक (साहू साहब वाला बाग)। 3. सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य मोहल्ला बेगमसराय वार्ड सं० 2 में अहमद के घर से करीम के घर तक व मकबूल हुसैन के घर से नचना तक एवं मुस्तकीम के घर से नचना तक (साहू साहब वाला बाग)। 4. सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य मोहल्ला बेगमसराय वार्ड सं० 2 में बुल्ला के घर से नचना तक व अ० हक के प्लाट से यामीन तक (साहू साहब वाला बाग)।	21.31 22.89 29.14 28.93		
		<b>योग</b>	<b>102.27</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
3	नगर पालिका परिषद बिजनौर, जनपद-बिजनौर	1. नगर पालिका परिषद बिजनौर के मौ० भरत बिहार वार्ड सं० 14 में बिजनौर मण्डावर पी०डब्लू० डी०रोड, नियर चौधरी किराना स्टोर से श्री प्रभात के मकान तक सी०सी०रोड नाली निर्माण कार्य। 2. नगर पालिका परिषद बिजनौर के मौ० भरत बिहार वार्ड सं० 14 में बिजनौर मण्डावर पी०डब्लू० डी० रोड,	23.52 10.90		

		साई हॉस्पिटल के पास से नन्दी स्वीटस वालों के मकान तक सी०सी०रोड नाली निर्माण कार्य।			
		3. नगर पालिका परिषद बिजनौर के मौ० काशीराम कालोनी वार्ड सं० 05 में श्री बुद्धिमान सिंह के क्वार्टर न० 242 से श्री नारायण सिंह क्वार्टर न० 302 तक सी०सी०रोड नाली निर्माण कार्य।	10.95		
		4. नगर पालिका परिषद बिजनौर के मौ० अम्बे बिहार कालोनी वार्ड सं० 08 में श्री ब्रजमोहन सिंह के मकान से श्री ओमराज सिंह के मकान तक सी०सी०रोड, 80 एम०एम० इन्टरलॉकिंग पेवर रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.67		
		<b>योग</b>	<b>50.04</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
4	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम, जनपद-चित्रकूट	1. पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास अनुदान संख्या-83 योजना अन्तर्गत चिन्हित 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति वाले वार्डों में 70 वाट एल०ई० डी० स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु आपूर्ति का कार्य।	62.76		
		2. पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास अनुदान संख्या-83 योजना अन्तर्गत चिन्हित 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति वाले वार्डों में 90 वाट एल०ई० डी० स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु आपूर्ति का कार्य।	38.25		
		<b>योग</b>	<b>101.01</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
5	नगर पालिका परिषद स्वार, जनपद-रामपुर	1. वार्ड नं०-04 में भूरा पान वाले की दुकान से पुलिया तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	13.93		
		2. वार्ड नं०-04 में बर्तनों की दुकान से मन्नू सभासद की दुकान तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।	13.34		
		3. वार्ड नं०-02 में तौफिक भाई के मकान से आशा मस्जिद तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का नव निर्माण कार्य।	29.68		
		4. वार्ड नं०-02 में डा० शौकत के मकान से सलीम आरा मशीन की दिवार के कोने तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का नव निर्माण कार्य	33.81		
		5. वार्ड नं०-04 में नकासे वाली मस्जिद से हाजी तौफिक की दुकान तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	22.70		
		6. वार्ड नं०-04 में दांतों के क्लीनिक से मटरू खां की मस्जिद तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	15.11		
		7. वार्ड नं०-13 में मौहब्बतनगर रोड से नामे अली के मकान तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	12.06		
		8. वार्ड नं०-14 में नगलिया वालों के घर से कब्रिस्तान तक नाली एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	19.13		
		<b>योग</b>	<b>159.76</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
6	नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद-मिर्जापुर	1. स्टेशन वार्ड में लक्ष्मणपुरम् कालोनी में मुन्ना दूबे के मकान से मान सिंह होते हुये जयनाथ मिश्रा के मकान तक नाली/कवर/सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	10.86		
		2. स्टेशन वार्ड में लक्ष्मणपुरम् कालोनी में महादेव जनरल स्टोर से रामबाबू के मकान होते हुये जयनाथ मिश्रा से मुन्ना दूबे के मकान तक नाली/कवर/सी० सी० रोड का निर्माण कार्य।	13.04		
		3. शिवपुर वार्ड में शीतला मंदिर के सामने कालोनी में राजू मिश्रा के मकान से बाबू ललित के मकान तक नाली/कवर/सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	13.20		
		4. कंतित वार्ड में कंतित पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड से अशोक कुमार होते हुये राज नारायण के मकान तक आशिक भाग में मिट्टी पटाव, रिटेनिंगवाल व पूरे मार्गों पर सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	17.76		
		5. महन्थ शिवाला वार्ड में चौबेघाट के सामने गली में माली के मकान से जितेन्द्र के मकान तक मिट्टी पटाव,	14.19		

	रिटेनिगवाल, नाली/कवर/ सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।			
	6. घुररूपट्टी वार्ड में विवेकानन्द सिंह के मकान के पास नाली टूकन/सी० सी० का कार्य।	9.55		
	7. डंगहर वार्ड में सुरेकापुरम कालोनी में चौरा माता के आगे गली में बबलू पटेल के मकान से सचिन मिश्रा के मकान होते हुये राम सेठ के मकान तक नाली कवर/सी० सी० का कार्य।	13.68		
	8. बरौधा वार्ड में रामचन्द्र कालोनी में जितेन्द्र कुमार के मकान से प्रवीण कुमार मिश्रा के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	8.43		
	<b>योग</b>	<b>100.71</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>613.77</b>	<b>599.98</b>	<b>599.98</b>

### नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों


- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) अधिशासी अधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हों।
- (7) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताए यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में

- अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- (10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (11) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (14) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (15) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
- (16) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (17) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (18) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (19) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(25) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,99,98,000 (रुपये पांच करोड़ निन्यानवे लाख अठ्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890402 नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय जाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(मो0 वसिफ) 14.3.24  
अनु सचिव।

संख्या-150 /2024/ 80 /001-E-1799068, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-अमरोहा, बिजनौर, चित्रकूट, मीरजापुर एवं रामपुर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. गार्ड फाइल।
12. वेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,  
  
(मो0 वसिफ) 14.3.24  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-14/03/2024

प्रेषण संख्या:- 150  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-150-2024-80-001-E-1799068  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेतर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना  
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 15000000	15000000 15000000
2	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 15000000	15000000 15000000
3	मिर्जापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 22394500	10000000 22394500
4	अमरोहा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9998000 9998000	9998000 9998000
5	चित्रकूट-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	59998000 72392500	59998000 72392500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ निम्नानवे लाख अठानवे हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ तेइस लाख बानवे हजार पाँच सौ

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव